

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित जून, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गोंकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

के २१५१३८८८८८८
(के. राजासमन)

अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23093230/5012

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साठथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
13. अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
14. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/सलाहकार (आईईआर)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)/संयुक्त सचिव (बीसीएंडआईआर)/सीएए।
17. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
18. डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
19. श्री अरुण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
20. गार्ड फाइल - 2019

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: जून, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत्-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई शृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति मई, 2018 में 4.9% की तुलना में मई, 2019 में 3.0% थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति मई, 2018 में 4.8% की तुलना में मई, 2019 में 2.5% रही।

1.2 दिनांक 17 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आधार दर 8.95/9.40 प्रतिशत पर रहा। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल जो 17 मई, 2019 को 7.41 प्रतिशत पर था। 05 जुलाई को बजट घोषणा के बाद धीरे-धीरे घटकर 6.9 प्रतिशत हो गया।

1.3 व्यापार घाटा के बढ़ने के कारण चालू खाता घाटा 2017-18 में (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) 48.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2018-19 में बढ़कर 57.2 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) हो गया। भारत का व्यापार घाटा 2017-18 में 160.0 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 180.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। मुख्य रूप से कुल सेवा अर्जनों के 2017-18 में 77.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 81.9 बिलियन अमरीकी डॉलर और निजी अंतरण प्राप्तियों में वर्ष 2018-19 में 70.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की बढ़त के कारण 2018-19 में निवल अदर्श प्राप्तियां उच्च रहीं। वर्ष 2018-19 में निवल एफडीआई अंतर्वाह 2017-18 में 30.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से थोड़े अंतरों से बढ़कर 30.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। पोर्टफोलियो निवेश में एक वर्ष पूर्व 22.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के अंतर्वाह की तुलना में 2018-19 में 2.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया। वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार में 3.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (बीओपी आधार पर) की कमी आई।

1.4 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्चात, 2019 के 412.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से 13.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बढ़त दर्शाते हुए 21 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार 426.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। मई, 2019 में 69.77 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) जून, 2019 माह में 69.44 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर रही।

1.5 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई शृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में अप्रैल, 2018 में 4.5% की बढ़त की तुलना में अप्रैल, 2019 में 3.4% की बढ़त दर्ज की गयी। मई, 2019 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त मई, 2018 के दौरान हुई 4.1 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 5.1 प्रतिशत थी। अप्रैल से मई, 2019-20 के दौरान मुख्य उद्योगों की बढ़त अप्रैल-मई, 2018-19 के दौरान 4.4 प्रतिशत की तुलना में 5.7 प्रतिशत रही।

1.6 भारत का व्यापारिक माल निर्यात मई, 2018 के दौरान 28.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 3.9% की बढ़त दर्शाते हुए मई, 2019 के दौरान 30.0 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। भारत का आयात मई, 2018 में 43.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 4.3 प्रतिशत बढ़कर मई, 2019 के दौरान 45.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारत का तेल आयात मई, 2019 के दौरान 12.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो कि मई, 2018 में 11.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 8.2 प्रतिशत उच्च था।

1.7 व्यापार घाटा मई, 2018 के दौरान 14.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के घाटे की तुलना में मई, 2019 में 15.4 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित था।

1.8 अप्रैल, 2019 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमशः 18.1 बिलियन अमरीकी डॉलर और 11.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। अप्रैल, 2019 के लिए सेवाओं में व्यापार शेष 6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित था।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) सेबी ने 27 जून, 2019 को भारत सरकार के परामर्श से निम्न कार्य किए-

- संबंधित सेबी विनियमों में संशोधनों के साथ-साथ डीवीआर शेयर जारी करने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। इससे स्टार्ट-अप कंपनियां अन्य को नियंत्रण सौंपे बिना ही आय अर्जित करने में सुगमता होगी।
- यह निर्णय लिया गया कि बांड के उपयोग या रॉयल्टी के लिए संबंधित पक्षकारों को किए गए भुगतान को वस्तु तभी माना जाएगा यदि ये लेन-देन वित्त वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था के वार्षिक कुल टर्न ओवर के 5 प्रतिशत से अधिक होंगे और ऐसे प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु शेयरधारकों, जो किसी भी पक्ष से संबंधित न हों, के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में विलंगम की परिभाषा में यह अधिदेश देते हुए संशोधन किया कि जहां पर प्रवर्तकों और सामान्य गति से कार्य करने वाले व्यक्तियों (पीएसी) द्वारा संयुक्त विलंगम कंपनी में कुल शेयर धारिता के 20 प्रतिशत या कंपनी में उनकी शेयरधारिता के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए, वहां पर प्रवर्तकों को विलंगम हेतु कारणों का विस्तृत व्योरा पृथक रूप से देना अपेक्षित होगा।
- नकदी निधियों के जोखिम-प्रबंधन ढांचे से संबंधित प्रस्तावों और ऋण एवं अर्थ बाजार उपकरणों में निवेशों को अभिशासित करने वाले विवेकपूर्ण शर्तों का अनुमोदन। यह बांड बाजार में गड़बड़ियों की श्रृंखलाओं को देखते हुए किया गया।

(ख) सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले खुलासों में और अधिक मजबूती लाने और रेटिंग मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से सीआरए द्वारा सूचनाओं के और अधिक खुलासों के लिए 13 जून, 2019 को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

(ग) व्यवहार्यता अंतराल निधियां (वीजीएफ) स्कीम को जारी रखने और उसकी पुनर्संरचना पर दिनांक 21.06.2019 को ईएफसी की एक वैठक आयोजित की गई। ईएफसी ने मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव की अनुशंसा की है। नवरूपण वीजीएफ स्कीम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जलापूर्ति, अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक अवसंरचना में स्पर्धजनिक-निजी भागीदारी को मुख्य धारा में लाना।

(घ) किरणिज रिपब्लिक सरकार और भारत सरकार के बीच विशेषक, किरणिजस्तान में 14 जून, 2019 को द्विपक्षीय निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) 17-18 जून, 2019 को इंडिया हैबिटैट सेन्टर, नई दिल्ली में निवेश उप-कार्य दल का भारत-कोरिया सीईपीए उन्नयन समझौतों का आठवां दौर चला।

(च) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र की तीसरी संचालन समिति की बैठक 10 जून, 2019 को माले, मालदीव में हुई और भारत का प्रतिनिधित्व अपर सचिव (एफबी और एडीबी) द्वारा किया गया।

(छ) दिनांक 4 जून, 2019 को 287 मिलियन अमरीकी डॉलर की बाह्य सहायता से तमிலनாடு स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

(ज) दिनांक 27 जून, 2019 को 328 मिलियन अमरीकी डॉलर की बाह्य सहायता से तपेदिक उन्मूलन/निवारण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

(झ) दिनांक 27 जून, 2019 को 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की बाह्य सहायता से आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए।

(ज) दिनांक 28 जून, 2019 को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की बाह्य सहायता से सुदृढ़ केरल विकास कार्यक्रम - I पर हस्ताक्षर किए गए।

(ट) भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच “उत्तराखण्ड लोक वित प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना” के संबंध में 31.58 मिलियन अमरीकी डॉलर की बाह्य सहायता से कानूनी करार हेतु दिनांक 25 जून, 2019 को ऋण हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ठ) भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच “झारखण्ड नगर पालिका विकास परियोजना” के संबंध में 147 मिलियन अमरीकी डॉलर की बाह्य सहायता से कानूनी करार हेतु दिनांक 24 जून, 2019 को ऋण हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2.2 माह के दौरान निम्नलिखित ऋण श्रृंखलाओं का विस्तार किया गया:

- (i) बोन्गोलावा, ब्रेट्सीवोका, मेनावे और अनालामांगा क्षेत्रों में सिचाई, कृषि तंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग संयंत्र के माध्यम से मेडागास्कर में कृषि विकास हेतु मेडागास्कर सरकार को 80.72 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला।
- (ii) एस्टैबलिशमैन्ट ऑफ ए नेशनल रूरल ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क (एनआरबीएन) परियोजना हेतु नाइजीरिया सरकार को 100.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला और
- (iii) हांगे थर्मल पावर स्टेशन को पुनः बिजली देने के लिए जिम्बाब्वे सरकार को 310.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला।

2.3 जून 2019 माह के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गईः-

- (क) वित मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जापानी प्रेसीडेंसी के तहत वित मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक में भाग लिया जो फुकुओका, जापान में दिनांक 8 से 9 जून, 2019 को आयोजित की गई थी।
- (ख) अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग और एनबीएफसी सहित वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों की समीक्षा करने हेतु वित मंत्री ने दिनांक 19 जून, 2019 को वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) की 20 वीं बैठक की अध्यक्षता की।

- (ग) वित्त सचिव ने जापानी प्रैसीडेंसी के तहत तीसरे जी-20 वित्तीय उपाध्यक्षों की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया जो कि 6-7 जून, 2019 को फुकुओका में आयोजित किया गया था। इस बैठक में वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा जी-20 फुकुओका उद्घोषणा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- (घ) दिनांक 13 जून, 2019 को नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय और बीएमजैड, फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनोमिक कोआपरेशन एण्ड डेवल्पमैन्ट, जर्मनी के बीच इन्डो जर्मन वार्षिक परामर्श बैठक 2019 का आयोजन किया गया।
- (इ) आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 14 जून, 2019 को क्वालालम्पुर में हुई एफएसबी रिजनल कन्सलटेटिव ग्रुप फॉर एशिया की 16 वीं बैठक में भाग लिया।
- (झ) श्री के.राजारामन, अपर सचिव (निवेश) ने शंघाई, पीआरसी में दिनांक 24-25 जून, 2019 को एआरसी/बीएचआरसी की 11 वीं बैठक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 19 वीं बैठक में भाग लिया।
- (ञ) वित्त सचिव ने ओसाका, जापान में जी-20 लीडर सम्मिट में दिनांक 27 से 29 जून, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी के शिष्टमंडल के भाग के रूप में भाग लिया।
- (ज) वित्त सचिव ने ओसाका घोषणापत्र के वित्त ट्रैक अनुच्छेदों का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 26-27 जून, 2019 को हुए जी-20 वित्त उपाध्यक्षों की बैठक में भी भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया। आर्थिक कार्य विभाग शिष्टमंडल ने लीडरों के घोषणापत्र के वित्त ट्रैक पैराओं पर वार्ता में भाग लिया।
- (झ) श्री के. राजारामन, अपर सचिव (निवेश) ने मैलवन ऑस्ट्रेलिया में दिनांक 29-30 जून, 2019 को क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के निवेश पर कार्यदल की वार्ताओं में भाग लिया।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य।

5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति

स्वीकृत किए गए	:	00
विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित	:	09
